ताज कंवर V/s जैन कंवर वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	मिसल 49/2017 हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
3-9-21	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकान उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 9-9-21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
9-9-21	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वास्ते प्राप्त होने संशोधित विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर पत्रावली दिनांक 13-9-2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
13.09.2021 निर्णय सुना गया है (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) 13-9-21 मदन सिंह (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर)	पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विधिक विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक 28/भू.अ./2021 दिनांक 09.09.2021 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में वकील वादिया ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से वकील प्रतिवादीगण ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् के सहमत होने पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। प्रकरण में आदेश/निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया। निर्णयानुसार वकील वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र [illegible] किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा को डिक्री का भाग बनाया जाकर अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2021.09.22 11:33:12 IST Reason: SelfAttested (हस्ताक्षर) 13/09/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
49 / 2017	2019 / 00090	12.04.2017	13.09.2021

उनवान

राज कंवर पत्नि श्री बिशन सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

वादीया

बनाम

1. नैन कंवर पत्नि श्री पर्वत सिंह
2. हिम्मत सिंह पुत्र श्री पर्वत सिंह
3. मदन सिंह पुत्र श्री पर्वत सिंह
4. भगवान सिंह पुत्र श्री पर्वत सिंह
5. भवानी सिंह पुत्र श्री पर्वत सिंह
6. राजकंवर पुत्री श्री पर्वत सिंह
7. जितेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह
8. जोगेन्द्र सिंह पुत्र बजंरग
   जाति राजपूत निवासी ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
9. प्रवीण कंवर पत्नि हिम्मत सिंह राठोड़ जाति राजपूत निवासी मोतीपुरा तहसील नांवा जिला नागौर राज0
10. पटवारी हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर
11. उप पंजीयक श्रीमाधोपुर
12. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित–

श्री विक्रम सिंह बांकावत, वादीया अभिभाषक।

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़, एड0 प्रतिवादी सं0 8

श्री भारत भूषण सामोता एड0 प्रतिवादी सं. 9

पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार, … सं0 12

वादपत्र बाबत उद्घोषणा, तकास्म … धारा 53,88,188 राज0 का… अधिनियम, …5

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.22 11:33:12 IST
Reason: SelfAttested

13/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादीगण की सहखातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित है जिसका विस्तृत वर्णन अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2072–2075 के अनुसार निम्न प्रकार है:—

खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा (है0)	किस्म
204	2687/1	0.4650	बारानी 3
206	2689	0.0200	बारानी 3
	2690	1.2500	बारानी 3
205	2686	0.7600	बारानी 3

उपरोक्त वर्णित कृषि आराजी में **वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार (अंतिम चोसला आधार सम्वत 2072–2075)** राजस्व ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नंबर 2687/1 रकबा 0.465 हैक्टर के हिस्सा 525/4650 की वादिया एंव हिस्सा 4125/4650 के प्रतिवादी नं. 1 ता 6 एंव भूमि खसरा नम्बर 2686 रकबा 0.76 हैक्टर के हिस्सा 1/4 की वादिया, हिस्सा 5/8 के प्रतिवादी नं. 1 ता 6, हिस्सा 84885/760000 का प्रतिवादी नं. 4, हिस्सा 5572/760000 का प्रतिवादी नं. 7, हिस्सा 4543/760000 का प्रतिवादी नं. 8 एंव भूमि खसरा नम्बर 2689 रकबा 0.02 हैक्टर, 2690 रकबा 1.25 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.27 हैक्टर के हिस्सा 1/4 की वादिया एंव 3/4 हिस्सा के प्रतिवादी नं. 1 ता 6 काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि शामलाती रूप से दर्ज चली आ रही है तथा मौका स्थल पर बंटी हुई है। सभी खातेदार अपने–अपने हक हिस्से की भूमि पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वादिया भूमि खसरा नम्बर 2687/1 की पश्चिमी सीव पर रींगस–श्रीमाधोपुर सड़क मार्ग से सटाकर 0.30 हैक्टर भूमि पर एंव खसरा नम्बर 2686 की पश्चिमी सीव पर खसरा नम्बरा 2687/2 से सटाकर 0.0950 हैक्टर भूमि पर [illegible] लाल स्याही से दर्शितानुसार पूर्णतया काबिज काश्त है। उक्त [illegible] नम्बर 869/1 थे। जिसकी सैटलमेंट से पूर्व खातेदारी पर्वत[illegible] व रामकुंवार पुत्र इन्दसिंह हिस्सा 1/4 के नाम अंकित चली आ रही थी। [illegible] दोनों भाईयों ने आपसी सहमति से उक्त भूमि का मौके पर बंटवारा कर रखा था। खातेदार रामकुंवार ने अपना हिस्सा 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.22 11:33:12 IST
Reason: SelfAttested

13/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख हरदयाल पुत्र परशुराम वैश्य निवासी खेजरोली को दिनांक 15.3.1982 को बेचान कर दिया। उक्त खातेदार हरदयाल का इंतकाल होने पर उसकी खातेदारी उसकी पत्नि लाडा देवी के नाम दर्ज हो गई। पुराने खसरा नम्बर 863/1 के सैटलमेंट के बाद नये खसरा नम्बर 2686, 2687, 2689, 2690 कायम किये गये। खातेदार लाडा देवी ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/4 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 26.10.1998 के द्वारा वादिया को बेचान कर दिया तथा उसके बाद वादिया उक्त भूमि खसरा नम्बर 2687 सम्पूर्ण पर एंव उसके सटाकर भूमि खसरा नम्बर 2686 रकबा 0.095 हैक्टर भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त हो गई। उक्त मौका स्थिति एंव कब्जे के सम्बन्ध में साबिक विक्रेता/खातेदार लाडा देवी ने दिनांक 26.10.1998 को एक ईकरारनामा भी वादिया के हक में निष्पादित किया। इसके बाद वादिया ने अपनी पारिवारिक आवश्यकता के चलते अपनी खातेदारी भूमि में से 0.850 हैक्टर भूमि का बैचान राजेन्द्र प्रसाद सैनी को कर दिया तथा मौके पर उक्त राजेन्द्र प्रसाद का कब्जा भूमि खसरा नम्बर 2687 की पूर्वी सींव पर संभला दिया। जिसका बाद में राजेन्द्र प्रसाद सैनी के हक में तकास्मा होकर भूमि खसरा नम्बर 2687 के नये नम्बर 2687/1 रकबा 0.4650 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 2687/2 रकबा 0.850 हैक्टर कायम हुए। इसके बाद वादिया ने अपनी खातेदारी भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख दिनांक 12.04.2016 के द्वारा 0.1672 हैक्टर भूमि को प्रतिवादिया नम्बर 9 को बैचान कर दिया। इस प्रकार वादिया वर्तमान में भूमि खसरा नम्बर 2687/1 की पश्चिमी सींव पर 0.30 हैक्टर भूमि पर एंव भूमि खसरा नम्बर 2687/2 की पूर्वी सींव से सटाकर भूमि खसरा नम्बर 2686 की पश्चिमी सींव पर 0.0950 हैक्टर भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त है। जिस पर वादिया ने पुख्ता चार दिवारी बनाकर लोहे का गेट लगा रखा है तथा पश्चिमी एंव दक्षिणी सींव पर पोल गाडकर तारबंदी करके अपने कब्जे काश्त की भूमि पर पूर्णतया काबिज काश्त है एंव भूमि खसरा नम्बर 2686 की 0.0950 हैक्टर भूमि पर तारबंदी करके अपनी सीमा कायम पूर्णतया काबिज काश्त है। इस प्रकार मौके पर उक्त भूमि काफी वर्षो से बंटी हुई होकर सभी पक्षकारान् अपने-अपने हिस्से पर अलग-अलग काबिज काश्त है। उक्त भूमियों का अभी तक विधिक विभाजन नहीं होने से वादिया अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमियों को विकसित नहीं कर पा रही है। वकील वादिया ने उक्त भूमियों का विधिक विभाजन किये जाने हेतु यह वादपत्र बाबत बंटवारा पेश कर विधिक विभाजन यह वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस पर वादीया के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 1 से 7, 10 से 12 की तामील असालतन/इन्कारी/परिवार के निकटतम सदस्य द्वारा लिये जाने पर उक्त प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्[illegible]ल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से श्री जितेन्द्र कुमा[illegible]श नहीं कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने [illegible] प्रतिवादी नं. 9 की ओर से श्री भारत भूषण एड0 ने जवाब दावा पेश किया। वकुल[illegible] उभय पक्षकारान् ने वादपत्र वास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.22 11:33:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

13/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

बंटवारा करने व वकील प्रतिवादीगण द्वारा सहमति प्रदान कर दिये जाने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। उक्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 28/भू.अ./2021 दिनांक 09.09.2021 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में भरकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 28/भू.अ./2021 दिनांक 09.09.2021 को न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर प्रवीण कंवर पत्नि हिम्मत सिंह जाति राजपूत द्वारा एक विक्रय पत्र की फोटो स्टेट प्रति पेश की। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी मौका रिपोर्ट में अवगत कराया है कि "ताजकंवर पत्नि विशनसिंह जाति राजपूत द्वारा खसरा नम्बर 2686 रकबा 0.76 हैक्टर में से हिस्सा 1147/1900 व भूमि खसरा नंबर 2687/2 रकबा 0.4650 है0 में से हिस्सा 525/4650 का बैचान प्रवीण कवंर पत्नि हिम्मतसिंह के पक्ष में किया गया हैं। जिसका राजस्व रिकार्ड में अकमल दरामद नहीं है लेकिन वाद में प्रवीण कवंर पत्नि हिम्मत सिंह को पक्षकार बनाया गया है। ताजकंवर पत्नि विशनसिंह द्वारा अपनी कब्जेशुदा 2687/1 के पूर्वी तरफ प्रवीण कंवर को 0.1672 हैक्टर भूमि का कब्जा देने की सहमति दी। वाद में दर्ज प्रतिवादी नैनकंवर पत्नि पर्वतसिंह जाति राजपूत की मृत्यु दिनांक 05.11.2019 को हो चूकी है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया। पक्षकार राजकंवर पुत्री प्र्वतसिंह द्वारा रिकार्ड में दर्ज अपने सम्पूर्ण हिस्से को प्रतिवादी हिम्मतसिंह, मदनसिंह, भवानीसिंह पुत्रगण पर्वत सिंह को हिस्सा 3/4 व अचरज कॅवर पत्नि भगवान सिंह हिस्सा 1/12, देवेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह हिस्सा 1/12 व सुनीता कॅवर पुत्री भगवान सिंह हिस्सा 1/12 के पक्ष में छोड़ना स्वीकार किया गया है। ताजकॅवर पत्नि विशनसिंह द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से में से 0.0950 हैक्टर भूमि कम लेने की सहमति दी जिसे हिम्मतसिंह, मदनसिंह, भवानीसिंह पुत्रगण पर्वतसिंह, ताजकॅवर पत्नि विशनसिंह, अचरज कॅवर पत्नि भगवान सिंह, देवेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह व सुनीता कॅवर पुत्री भगवान सिंह के पक्ष में बांटने के पश्चात् मदनसिंह पुत्र पर्वतसिंह द्वारा अपने हिस्से में से 0.04 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 2690 के उत्तर-पश्चिम कोने में ताज कॅवर पत्नि विशनसिंह को देना स्वीकार किया। इस प्रकार ताज कॅवर पत्नि विशन सिंह का खसरा नम्बर 2687/1 में से 0.2978 हैक्टर व 2690 में से 0.04 हैक्टर भूमि पर [illegible] किसी खसरा नम्बर पर ताजकंवर पत्नि विशनसिंह का [illegible] रहेगा।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.22 11:33:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

13/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रकरण में वकुंलाय उभय पक्षकारान अभिभाषकों के निवेदन पर अंतिम बहस सुनी गई। उभय पक्षकारान अभिभाषकों द्वारा प्राथमिक डिक्री के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत बंटवारा रिपोर्ट पर सहमति प्रदान कर अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया।

हमनें उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान् द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों (सहमति–पत्र) से यह प्रतीत होता है कि ऐसी स्थिति में पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से का विभाजन अंतर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अध्यधीन कराये जाने के अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अपनी सह खातेदारी से मौजा महरोली पटवार हल्का महरोली की आराजीयात जो कि उभयपक्षकारान के सह खातेदारी से दर्ज राजस्व रिकार्ड है का विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीया का वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार वादीया एवं प्रतिवादीगण के सहमति–पत्र तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के कुर्रेजात रिपोर्ट, संलग्न नक्शा ट्रेस व मौका पर्चा अनुसार बने निम्न प्रकार के विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

राजस्व ग्रामः'– महरोली, तहसीलः– श्रीमाधोपुर, जिला–सीकर

क्र. सं.	खा. सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	2	3	4	5	6	7
1	225 209	ताजकंवर पत्नि बिशनसिंह जाति राजपूत सा.देह	2687/1 2690/1	0.2978 0.0400	बा.3 बा.3	
		योग	02	0.3378	बा.3	
2	225	श्रीमती प्रवीणकंवर पत्नि हिम्मतसिंह जाति राजपूत सा.देह निवासी मौतीपुरा तहसील नावां जिला नागौर	2687/3	0.1672	बा.3	
		योग	01	0.1672	बा.3	
3	209 224	भवानीसिंह पुत्र पर्वतसिंह जाति राजपूत सा.देह. राहिन बी.आर.के.जी.बी. ाखा, महरोली	2686/2 2690/4 2690/8	0.1491 0.0490 0.2786	बा.3 बा.3 बा.3	
		योग	03	0.4767	बा.3	
4	209 224	मदनसिंह पुत्र पर्वतसिंह जाति राजपूत सा.देह.	2686/3 2690/2 2690/5	0.1675 0.2202 0.0490	बा.3 बा.3 बा.3	
		योग	[illegible]	0.4367	बा.3	
5	209 224	हिम्मतसिंह पुत्र पर्वतसिंह जाति राजपूत सा.देह.	2686/[illegible] 2690/[illegible] [illegible]/10	0.2254 0.0490 0.2024	बा.3 बा.3 बा.3	
		योग	03	0.4768	बा.3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.22 11:33:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

13/09/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

6	209	अचरजकंवर पत्नी स्व. भगवानसिंह हिस्सा 1/3, देवेन्द्र सिंह पुत्र भगवानसिंह हिस्सा 1/3, सुनीताकंवर पुत्री भगवानसिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत सा.देह.	2690/6 2690/11	0.0490 0.2428	बा.3 बा.3	
		योग	02	0.2918	बा.3	
7	224	अचरजकंवर पत्नी स्व. भगवानसिंह हिस्सा 471/1850, देवेन्द्र सिंह पुत्र भगवानसिंह हिस्सा 471/1850, सुनीताकंवर पुत्री भगवानसिंह हिस्सा 472/1850, जितेन्द्रसिंह पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा 390/1850, जोगेन्द्रसिंह पुत्र बजरंगसिंह हिस्सा 46/1850 जाति राजपूत सा.देह.	2686/4	0.1850	बा.3	
		योग	01	0.1850	बा.3	
8	209 224	अचरजकंवर पत्नी स्व. भगवानसिंह हिस्सा 1/12, देवेन्द्र सिंह पुत्र भगवानसिंह हिस्सा 1/12, भवानीसिंह पुत्र पर्वतसिंह हिस्सा 1/4, राहिन बी.आर.के.जी.बी. ाखा, महरोली, मदनसिंह पुत्र पर्वतसिंह हिस्सा 1/4, सुनीताकंवर पुत्री भगवानसिंह हिस्सा 1/12, हिम्मतसिंह पुत्र पर्वतसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा.देह.	2686/1 2690/12 2690/3 2690/9 2689	0.0330 0.0200 0.0320 0.0180 0.0200	बा.3 बा.3 बा.3 बा.3 बा.3	
		योग	05	0.1230	बा.3	

उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन बदस्तूर रखा जावें। संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उपरोक्त सारणी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। अंतिम डिक्री इसी कदर जारी हो।

Rathore 13/09/21

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपखण्ड अधिकारी (सीकर)

Signature Not Verified

यह निर्णय आज दिनांक 13.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.09.22 11:33:12 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 13/09/21

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर